संख्या–4033–69–1–2000–104 (सा)/97

प्रेषक,

श्री राम किशोर
अनु0 सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, लखनऊः दिनाँक–10 नवम्बर 2000

विषय : एल0सी0एस0 अन्तर्गत अनुपयोगित धनराशि को वापस प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2354/03/9/96–97(पार्ट–।।) दिनांक 28.10.2000 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अंतर्गत सुलभ इण्टरनेशनल संस्था को निदेशक सूडा द्वारा 27 दिसम्बर 1999 में अपने स्तर से रूपये 340 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी किन्तु उक्त धनराशि का संस्था द्वारा अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त अप्रयुक्त धनराशि को ब्याज के साथ तत्काल उक्त संस्था से वापस लेकर सूछा के खाते में जमा कराके शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम किशोर)
अनु0 सचिव